भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1369
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण

†1369. श्री हनुमान बेनीवाल
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
श्री मनीष जायसवाल
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी
डॉ. विनोद कुमार बिंद
श्री विष्णु दयाल राम

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु योजना के अंतर्गत आपदा संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए की गई प्रमुख पहलों/उठाए गए कदमों और तत्संबंधी धनराशि परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में उक्त उपबंधों को अनिवार्य बनाने के लिए क्या कार्ययोजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) एवं (ख): अग्निशमन सेवा राज्य का एक विषय है और इसे अनुच्छेद 243 (ब) के तहत भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में एक नगरपालिका कार्य के रूप में शामिल किया गया है।

यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे ग्राम पंचायतों सहित अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करना सुनिश्चित करें।

अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की। इसलिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 04.07.2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना" शुरू की है। विस्तृत योजना https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/policies-guidelines पर उपलब्ध है।

योजना के तहत, संबंधित राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्यों के संसाधनों से परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर, जो 10% योगदान देंगे) योगदान करना होगा।

योजना के तहत, राज्यों को अपने-अपने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करने की अनुमति है।

(i) नए फायर स्टेशनों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत करना और आग से बचाव के उपायों, जागरूकता कार्यक्रम, फायरफाइटर, स्वयंसेवकों और समुदाय की क्षमता निर्माण द्वारा अग्निशमन सेवाओं का विस्तार। इस गतिविधि के लिए 35% निधि आवंटित की गई है। जिसमें से 5% क्षमता निर्माण के लिए है।

(ii) आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीद और राज्य मुख्यालयों और शहरी अग्निशमन स्टेशनों को मजबूत करके अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण।

खरीदे जाने वाले उपकरणों में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, टर्नटेबल सीढ़ी सहित अन्य शामिल हैं, जैसा कि 4 जुलाई, 2023 की योजना दिशानिर्देशों के साथ राज्यों को प्रसारित सांकेतिक सूची में दिया गया है। अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 50% निधि आवंटित की गई है।

(iii) किसी भी राज्य विशिष्ट मांग के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत न केवल राज्य अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाली अपनी चल रही परियोजनाओं को टॉप-अप करने के लिए अपनी मांग उठा सकते हैं, बल्कि राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें लचीलापन भी दिया गया है। निधि का 15% राज्य विशिष्ट मांग के लिए आवंटित किया गया है।

<u>लोक सभा अता.प्र.स. 1369 दिनांक 03.12.2024</u>

(iv) योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये की कुल आवंटित निधि में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे-आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए भी रखी गई है।

योजना के तहत राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार विवरण संलग्नक-। में है। योजना के अंतर्गत आज तक, गृह मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता के लिए अठारह (18) राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	कुल आवंटन (करोड़ रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	252.86
2	मणिपुर	45.00
3	मेघालय	44.37
4	तेलंगाना	190.14
5	उत्तर प्रदेश	768.67
6	हिमाचल प्रदेश	65.33
7	पंजाब	131.56
8	सिक्किम	32.25

लोक सभा अता.प्र.स. 1369 दिनांक 03.12.2024

9	त्रिपुरा	42.36
10	उत्तराखंड	78.89
11	असम	107.47
12	कर्नाटक	329.90
13	मिजोरम	40.00
14	तमिलनाडु	373.27
15	छत्तीसगढ	147.745
16	नागालैंड	40.05
17	ओडिशा	200.384
18	पश्चिम बंगाल	376.76

******

लोक सभा अता.प्र.स. 1369 दिनांक 03.12.2024

अनुलग्नक-I

अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्यों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार विवरण

करोड़ रु. में

क्र. सं.	राज्यों की सूची	केंद्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल आवंटन
1	आंध्र प्रदेश	189.7	63.23	252.93
2	अरुणाचल प्रदेश	57.57	6.39	63.96
3	असम	96.73	10.74	107.47
4	बिहार	255.69	85.23	340.92
5	छत्तीसगढ	110.82	36.94	147.76
6	गोवा	31.63	10.54	42.17
7	गुजरात	254.27	84.75	339.02
8	हरियाणा	87.48	29.16	116.64
9	हिमाचल प्रदेश	58.8	6.53	65.33
10	झारखंड	111	37.00	148.00
11	कर्नाटक	247.42	82.47	329.90
12	केरल	122.41	40.80	163.21
13	मध्य प्रदेश	298.15	99.38	397.54
14	महाराष्ट्र	461.61	153.87	615.48
15	मणिपुर	40.5	4.50	45.00
16	मेघालय	39.94	4.43	44.37
17	मिजोरम	36	4.00	40.00
18	नागालैंड	36.05	4.00	40.05
19	ओडिशा	150.83	50.27	201.10
20	पंजाब	98.67	32.89	131.56
21	राजस्थान	293.73	97.91	391.64
22	सिक्किम	29.03	3.22	32.25
23	तमिलनाडु	280	93.33	373.33
24	तेलंगाना	142.61	47.53	190.14
25	त्रिपुरा	38.15	4.23	42.38
26	उत्तर प्रदेश	577.43	192.47	769.90
27	उत्तराखंड	71.03	7.89	78.92
28	पश्चिम बंगाल	282.57	94.19	376.76
	कुल	4499.84	1387.99	5887.83